महाराष्ट्र की मिलों के लेंडर्स ने रोका चीनी का निर्यात

[जयश्री भोसले | पुणे]

- महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक के मुताबिक, मिलें गिरवी चीनी पर एक्सपोर्ट प्राइस और MSP के अंतर का भुगतान करें, तभी निर्यात की इजाजत मिलेगी

ऐसे समय में जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमत भारत सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से 40 पर्सेंट कम है, एक्सपोर्टर्स ने महाराष्ट्र में को-ऑपरेटिव बैंकों की इस शर्त में ढील की मांग की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मिलें गिरवी रखी चीनी के निर्यात के लिए इंटरनेशनल प्राइसेज और एमएसपी में अंतर का भुगतान करें। इन बैंकों का कहना है कि उसके बाद ही उन्हें चीनी निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी।

केंद्र सरकार ने 2017-18 शुगर सीजन में अलग-अलग मिलों के लिए 20 लाख टन का एक्सपोर्ट कोटा तय किया है। हालांकि, अभी तक इसमें से 20 पर्सेंट चीनी का निर्यात किया गया है, जबकि पेराई का अगला सीजन शुरू होने में दो महीने से कम का समय बचा है। नया पेराई सीजन 1 अक्टूबर से शुरू होगा। शुगर की घरेलू कीमतें ज्यादा होने से मिलों की एक्सपोर्ट में दिलचस्पी नहीं है।

वहीं, महाराष्ट्र से कम एक्सपोर्ट की वजह से ये बैंक भी हैं। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव (एमएससी) बैंक और इसके सहयोगी जिला को-ऑपरेटिव बैंक राज्य में खासतौर पर मिलों को कर्ज देते हैं। मिलें उनसे कर्ज लेने के लिए गोदामों में पड़ी चीनी गिरवी रखती हैं। महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन (शकरसंघ) के मैनेजिंग डायरेक्टर, संजय कथल ने कहा, 'मिलें चीनी का निर्यात करना चाहती हैं, लेकिन एमएससी बैंक ने ₹29 प्रति किलो के एमएसपी और निर्यात की कीमत के अंतर का भुगतान करने की शर्त रखी है, जिससे उसके पास गिरवी रखी चीनी का निर्यात करना मुश्किल हो गया है।'

एमएससी बैंक के चेयरमैन, वीवी अनस्कर ने कहा, 'गन्ने के बकाए के भुगतान के लिए केंद्र की सब्सिडी जोड़ने के बाद एक्सपोर्ट प्राइस 26 रुपये और एमएसपी 29 रुपये किलो है। ऐसे में हम मिलों को ₹3 का भुगतान किए बिना गिरवी रखी चीनी के एक्सपोर्ट की अनुमति नहीं दे सकते।'वहीं, स्टेट को-ऑपरेटिव शुगर फैक्टरीज फेडरेशन ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह प्रोड्यूसर सब्सिडी को मिलों को देने की बजाय सीधे एमएससी बैंक को दे। उन्होंने कहा, 'यदि हमें केंद्र सरकार की तरफ से प्रोड्यूसर सब्सिडी मिलती है तो मिलों को शुगर एक्सपोर्ट करने में सक्षम होने के लिए 90 पर्सेंट तक राशि दी जा सकती है।'

Economic Times
9/8/2018